

महिला शिक्षा विभाग
 (श्रीमती सुष्मा सिंह)
 मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
 कर्मांक मण्डल नैनीताल
 क्रमसः पृष्ठ 2

क्र०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद	जन्म तिथि	पदस्थानित विद्यालय का नाम	विवरण
01	02	03	04	05	06	07
01	मदनलाल लोधी	रा०पू०मा०वि० छतरपुर	उ०वि०न०	05/01/1968	रा०उ०मा०वि० किलावली, उधमसिंहनगर	-
02	श्रीमती विनीता चौहान	रा.पू.मा.वि. भाकर	नैनीताल	29/06/1973	रा०उ०का० वि०वि०पी०एल, नैनीताल	-
03	श्रीमती मीना वर्मा	रा०मा०वि० बलबधा	नैनीताल	25/06/1976	रा०उ०का० मी०रा०पानी, नैनीताल	-
04	श्री जगदम्बा प्रसाद	रा०उ०का० हिन्दुखेड़ा	नैनीताल	10/11/1964	रा०उ०मा०वि० छड़लोक अथिया, नैनीताल	-
05	श्री राकेश कुमार वर्मा	स्नाक संस्थान केन्द्र	नैनीताल	15/06/1972	रा०उ०का० बगड, नैनीताल	-
06	बालम सिंह बिष्ट	रा०उ०मा०वि० देवलीखेतना	अल्मोड़ा	12/06/1972	रा०उ०मा०वि० घाड़नागा, नैनीताल	-
07	पूरन चन्द पाल	रा०उ०मा०वि० कनालीखाल	अल्मोड़ा	11/06/1973	रा०उ०का० डोकान, नैनीताल	-
08	श्री उत्तम सिंह नेगी	रा०उ०मा०वि० खुवाकोट	धमपवल	12/12/1974	रा०उ०मा०वि० कामाख्यला, धमपवल	-
09	श्री महम्मद अमीन	रा०पू०मा०वि० नैनीचक	नैनीताल	03/03/1974	रा०उ०का० रामनगर, नैनीताल	-
10	जगदीश सिंह चुकाल	रा०उ०का० कूटा	पिथौरागढ़	16/09/1976	रा०उ०मा०वि० गौजावाली, नैनीताल	-
11	श्री नवीन चन्द जोशी	रा०उ०मा०वि० खेवाव	धमपवल	30/06/1978	रा०उ०मा०वि० सन्तना, उधमसिंहनगर	-
12	सुशील कुमार उपाध्याय	रा०पू०मा०वि० कैंचा	पिथौरागढ़	02/10/1972	रा०उ०मा०वि० मन्था, पिथौरागढ़	-
13	भारत भूषण	रा०उ०का०खलना	अल्मोड़ा	20/06/1972	रा०उ०का० मनान, अल्मोड़ा	-
14	श्री कमलेश जोशी	रा०उ०मा०वि० पखुड़ा	धमपवल	19/05/1974	रा०उ०का० दिगातीबाई, धमपवल	-
15	श्री प्रदीप कुमार शर्मा	रा०उ०मा०वि०, खैराना	बागेश्वर	05/07/1977	रा०उ०मा०वि० चुकम, नैनीताल	-

विषय-गणित (सामान्य श्रेणी)

पदोन्नति नही की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की उम्मीदों बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी। फलस्वरूप नैनीताल के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक निर्गत की तिथि से 15 दिन के भीतर अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के उम्मीदों के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को आदेश उनके नाम के समूह स्लम-06 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए वतनकम-9300-34800 ग्रेड वतन-4600 में उनके विकल्प के आधार पर सहितक अस्थापक स्नातक वतनकम में विद्यालयों में समान वतनकम में कार्यरत निम्नलिखित सहितक अस्थापक/अध्यापिकाओं की प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी प्राथमिक विद्यालय, सहितक अस्थापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहितक अस्थापक राजकीय आदर्श प्रशिया के प्रस्तर-16(1) में निहित प्राविधानों तहत राजकीय प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 भर्ती

विधि/पदोन्नति

आदेश संख्या-संघार-3क(2)/अराव/पदो/458 /2014-15 दिनांक 22 फरवरी, 2015

कार्यालय : मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कर्मांक मण्डल नैनीताल

महिला शिक्षा विभाग
 (शैक्षणिक विभाग)
 कक्षा मंडल, नैनीताल
 क्रमांक: पृष्ठ 2

क्र०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद	जन्म तिथि	पदस्थान/विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06	07
01	श्रीमती विठ्ठल आठिकाठी	ए.प्र.वि. सन्नाडिया	नैनीताल	14/06/1978	राज्यपालिका सतलुगा, नैनीताल	-
02	श्री लक्ष्मण सिंह	श्रीशाखा, राज्यालय	बागेश्वर	17/06/1976	राज्यपालिका काण्डा, बागेश्वर	-
03	श्री चन्दन सिंह	राज्यपालिका, श्रीकाशीबट्टा	बागेश्वर	02/07/1977	राज्यपालिका कोलना, बागेश्वर	-
04	श्री कमल सिंह	राज्यपालिका खाली	बागेश्वर	13/08/1977	राज्यपालिका बिलौना, बागेश्वर	-
05	श्री दीपक कुमार	राज्यपालिका बैसानी	बागेश्वर	25/10/1977	राज्यपालिका बैसानी, बागेश्वर	-
06	श्रीमती वन्दना पुरोहित	राज्यपालिका, खान खाली	बागेश्वर	10/10/1979	राज्यपालिका खैरा, अन्नाडा	-
07	श्रीमती सुशीला कठियाणी	राज्यपालिका मोरडी	सम्भल	03/02/1976	राज्यपालिका धमाली, पिथौरागढ़	-
08	श्री कौतिल बल्लभ	राज्यपालिका सिधौली	सम्भल	06/06/1976	राज्यपालिका बगलिया, उधमसिंहनगर	-
09	श्री देवी नन्दन	राज्यपालिका चिखिया	सम्भल	10/06/1978	राज्यपालिका सम्भल	-
10	श्री दीपक सिंह	राज्यपालिका काट अमाडी	सम्भल	16/04/1979	राज्यपालिका रायपुर, उधमसिंहनगर	-
11	श्रीमती विनीता उपाध्याय	राज्यपालिका दुधखुसा	सम्भल	17/08/1979	राज्यपालिका गौडीहाट, पिथौरागढ़	-
12	श्री बाकर दत्त पुरोहिता	राज्यपालिका नैनीताल	पिथौरागढ़	05/06/1975	राज्यपालिका मरकटिया, पिथौरागढ़	-
13	श्री विपिन चन्द्र	राज्यपालिका धारीखेत	पिथौरागढ़	25/06/1975	राज्यपालिका प्रमपुरलोखानी, नैनीताल	-
14	श्री दीप कुमार पन्ना	राज्यपालिका सिमली	अन्नाडा	25/05/1976	राज्यपालिका चौम, अन्नाडा	-
15	श्री बाकर सिंह राणा	राज्यपालिका नैनीताल	अन्नाडा	27/02/1977	राज्यपालिका पना, बागेश्वर	-

विषय-गणित (सामान्य शाखा)

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशासनिक विभाग) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 अर्थात् प्रक्रिया के प्रस्ताव-16(1) में निर्दिष्ट प्राविधानों तहत राजकीय प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहस्रयक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहस्रयक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहस्रयक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशासनिक स्नातक श्रेणी वेतनक्रम-9300-34800 से वेतन-4600 में उनके विकल्प के आधार पर सहस्रयक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में उनके नाम के समूह स्लॉट-06 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा अर्थात् अनुपपूर्वता को अस्वीकार करते हुए उच्चतरता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को आदर्श विद्यालय की तिथि से 15 दिन के भीतर अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप नैनीताल के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं को आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों को उच्चतरता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

विज्ञापित/पदोन्नति

आदेश संख्या-संवर्ग-3क(2)/अखानो/पदो/459 /2014-15 दिनांक 22 फरवरी, 2015

कार्यालय : महिला शिक्षा विभाग (मध्यमिक शिक्षा) कक्षा मंडल, नैनीताल

कार्यालय : मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कर्माऊ मण्डल नैनीताल

आदेश संख्या-संवाए-3क(2)/अराज0/पद0 / 460 / 2014-15 दिनांक 22 फरवरी, 2015

विज्ञापित/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 यहाँ प्रक्रिया के प्रसर-16(1) में निहित प्रावधानों तहत राजकीय प्राथमिक शिक्षा के अन्दरत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नलिखित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी वेतनक्रम-9300-34800 ग्रेड वेतन-4600 में उनके विकल्प के आधार पर सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में उनके नाम के समूह स्तर-06 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा यहाँ अनुरोधकर्ता को अस्वीकार करते हुए उचित के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के कलस्वरूप सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिन के भीतर अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के कलस्वरूप नैनाली के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं को आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की उचितता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

विषय-गोष्ठ (सामान्य श्रेणी)

क्र0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम पदनाम	नाम	जनपद	जन्म तिथि	पदस्थानित विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री तिलक सिंह	राजकुमार	पिथौरागढ़	17/04/1977	राजकुमार	-
02	हिमांशु वर्मा	अन्नाडा	अन्नाडा	04/08/1978	राजकुमार	-
03	गणेश दत्त जोशी	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	21/06/1979	राजकुमार	-
04	श्रीमती सीता	अन्नाडा	अन्नाडा	16/02/1980	राजकुमार	-
05	श्री विनोद कुमार	राजकुमार	नैनीताल	01/01/1961	राजकुमार	-
06	श्री सुधा रावैर	राजकुमार	नैनीताल	02/11/1964	राजकुमार	-
07	श्री हरीश चन्द	राजकुमार	राजकुमार	17/12/1966	राजकुमार	-
08	श्रीमती दीपा साहिल	राजकुमार	राजकुमार	01/09/1967	राजकुमार	-
09	श्री राजेश पाण्डे	राजकुमार	राजकुमार	08/09/1967	राजकुमार	-
10	श्री हेमन्त कुमार	राजकुमार	राजकुमार	22/03/1968	राजकुमार	-
11	श्री पूरन सिंह राणा	राजकुमार	राजकुमार	17/12/1968	राजकुमार	-
12	श्री हरीश चन्द सिंह	राजकुमार	राजकुमार	05/01/1969	राजकुमार	-
13	श्री निरेश चन्द	राजकुमार	राजकुमार	04/07/1969	राजकुमार	-
14	श्री हेम चन्द पाठक	राजकुमार	राजकुमार	25/08/1969	राजकुमार	-
15	श्री मंगल सिंह सिंह	राजकुमार	राजकुमार	01/11/1970	राजकुमार	-

(श्रीमती सुषमा सिंह)
मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कर्माऊ मण्डल नैनीताल

क्रमांक: पृष्ठ 2

कार्यालय : मण्डलीय अपर निर्देशक (माध्यमिक शिक्षा) कर्मचारी मण्डल नैनीताल

आदेश संख्या-सैवार-3क(2)/अराज/पदो / 61 / 2014-15 दिनांक 22 फरवरी, 2015

विज्ञापित/पदेनाति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रतिष्ठित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 भर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में निहित प्राविधानों तहत राजकीय प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रतिष्ठित स्नातक श्रेणी वेतनक्रम-9300-34800 ग्रेड वेतन-4600 में उनके विकल्प के आधार पर सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में उनके नाम के समूह स्लम-06 में आंकित विद्यालय में पदेनाति द्वारा भर्ती अनुपूर्वता को अस्वीकार करते हुए उचितता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदेनाति के फलस्वरूप सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिन के भीतर अपने पदेनाति विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदेनाति के फलस्वरूप सेनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं को आगामी तीन वर्ष तक पदेनाति नहीं की जायेगी। पदेनाति प्राप्त शिक्षकों को उचितता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

विषय-गणित (सामान्य श्रेणी)

क्र०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम पदेनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद	जन्म तिथि	पदस्थानित विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री सुरेश चन्द जाँशी	राजपुरा, हरमगढ़	बाँसखर	05/07/1971	राजपुरा, नैनीताल	-
02	श्री उमेश चन्द पाण्डे	राजपुरा, पाँखरी	बाँसखर	07/07/1972	राजपुरा, राजपुरा, नैनीताल	-
03	श्री भरत कुमार	राजपुरा, राजपुरा, नैनीताल	बाँसखर	18/06/1973	राजपुरा, नैनीताल	-
04	श्री चन्दन सिंह	राजपुरा, राजपुरा, नैनीताल	बाँसखर	18/06/1974	राजपुरा, राजपुरा, नैनीताल	-
05	श्री हेमवती चन्द	राजपुरा, राजपुरा, नैनीताल	बाँसखर	14/06/1975	राजपुरा, राजपुरा, नैनीताल	-
06	श्री दीपक सिंह राँवला	राजपुरा, राजपुरा, नैनीताल	बाँसखर	15/05/1977	राजपुरा, राजपुरा, नैनीताल	-
07	श्री धीरज कुमार मिश्रा	राजपुरा, राजपुरा, नैनीताल	बाँसखर	30/06/1977	राजपुरा, राजपुरा, नैनीताल	-
08	श्री केशव दत्त जाँशी	राजपुरा, राजपुरा, नैनीताल	बाँसखर	24/06/1966	राजपुरा, राजपुरा, नैनीताल	-
09	श्री राज प्रकाश	राजपुरा, राजपुरा, नैनीताल	बाँसखर	01/07/1968	राजपुरा, राजपुरा, नैनीताल	-
10	श्री दिनेश चन्द	राजपुरा, राजपुरा, नैनीताल	बाँसखर	01/07/1969	राजपुरा, राजपुरा, नैनीताल	-
11	श्री जीवन चन्द	राजपुरा, राजपुरा, नैनीताल	बाँसखर	29/10/1969	राजपुरा, राजपुरा, नैनीताल	-

(श्रीमती सुषमा सिंह)
 मण्डलीय अपर निर्देशक (माध्यमिक शिक्षा)
 कर्मचारी मण्डल नैनीताल
 क्रमशः पृष्ठ 2

महिला अथवा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ महानगर

- 11- कार्यलय आदेश पत्रिका।
- 10- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि के 15 दिन भीतर अपने तैनाती के लिए या हिलोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
- (घ)- पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अस्थायी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसे प्रमाण पत्र, उपाधि या हिलोमा प्राप्त कर लिया गया हो। यह उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या हिलोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त किया जा सकता है।
- (ग)- शासनादेश/निर्णयों के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता है।
- (ख)- प्रथम नियुक्ति (प्रतिष्ठित वेतनमान) के उपरान्त 31 जून, 2014 की तिथि तक कुमाऊँ महानगर न्यूनतम 08 वर्ष (क)- अस्थापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
- करना सुनिश्चित करें।
- 09- सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार भली-भाँति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/मुहल सम्बन्धित छुट्टी शिक्षा अधिकारी।
- 08- सम्बन्धित छुट्टी शिक्षा अधिकारी।
- 07- विल एवं लेखाधिकारी कार्यलय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 06- वरिष्ठ कोषाधिकारी सम्बन्धित ज्ञानपद।
- 05- सम्बन्धित विला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
- 04- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

/2014-15 दिनांक उक्तानुसार।

पृष्ठ/संवा-3क(2)/अराज/12646-112

महिला शिक्षा विभाग
 (श्रीमती सुषमा सिंह)
 महिला शिक्षा विभाग
 कक्षा संख्या: पृष्ठ 2

क्र०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद	जन्म तिथि	पदस्थानित विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06	07
01	सावित्री भाज स०३१०	स०३०००००००० मन्दीरपुर	अन्नाहा	15/10/1973	स०३००००००००० अन्नाहा	-
02	श्रीमती बीना जोशी स०३१०	स०३००००००००० स.पू.मा.वि. चन्द्रकोट	नीनाहा	01/01/1979	स०३०००००००००० नीनाहा	-
03	श्रीमती सनीता स०३१०	स०३०००००००००० अन्नाहा	अन्नाहा	01/07/1977	स०३००००००००००० सम्भार	-
04	श्रीमती जयललिता स०३१०	स०३०००००००००० मन्दीरपुर	नीनाहा	15/05/1980	स०३००००००००००० नीनाहा	-

विषय-गणित (महिला शाखा)

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 यहाँ प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में निहित प्राविधानों तहत राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी वेतनक्रम-9300-34800 ग्रेड वेतन-4600 में उनके विकल्प के आधार पर सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में उनके नाम के समुच्च स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा यहाँ अनुरोधकर्ता को अस्वीकार करते हुए उचितता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिन के भीतर अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं को आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों को उचितता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

विज्ञापित/पदोन्नति

आदेश संख्या-संघर्ष-3क(2)/अराज/पदो / 462 / 2014-15 दिनांक 22 फरवरी, 2015

कार्यालय : महिला शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) कक्षा संख्या: पृष्ठ 2

महिला आरक्षण विभाग (माध्यमिक शिक्षा)
 कर्मचारी मण्डल (N)

- 11- कक्षाएं आदेश पत्रिका।
- 10- प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।
- 10- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को इस निर्देश के साथ निम्न कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि के 15 दिन भीतर अपने तैनाती के या हिलोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
- 10- लगे। परन्तु यह कि पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अन्तर्गत के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या हिलोमा प्राप्त कर हिलोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या हिलोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात् के तीन वर्षों में प्राप्त निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा 10/10/2010 से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में उपाधि या पदोन्नत अध्यापक की प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता है।
- (ख)- प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 31 जून, 2014 की तिथि तक कर्मचारी मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष (क)- अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
- करना सुनिश्चित करें।
- 09- सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार भली-भाँति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/मुक्त सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को इस आशय के साथ कि पदोन्नत शिक्षक को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उनके सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 08- शिक्षा अधिकारी।
- 07- तब एवं लेखालिखित कक्षाएं शिक्षा अधिकारी।
- 06- वरिष्ठ कक्षा/शिक्षिका सम्बन्धित जनपद।
- 05- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
- 04- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 03- निर्देशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 01- सहाय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

/2014-15 दिनांक उत्तराखण्ड।

12113-27